सूचना का अधिकार अधिनियम

हमें पूछने और जानने का अधिकार चाहिए

अधिकार है, इन सवालों के जवाब का

हमारा काम क्यों नहीं हुआ
हमें इन्साफ क्यों नहीं मिलता
घटिया सड़कें
खराब सफ़ाई, पानी, शिक्षा, स्वाथ्य व्यवस्था

आखिर कौन जिम्मेदार है ?

सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसने हमें आज़ादी दी, सही मायने में, संसद में पारित हुआ १२ मई २००५ को और लागू हुआ १२ अक्तूबर २००५ से, पूरे देश में।

इस अधिनियम में शक्ती है, सरकार से सवालों के जवाब दिलाने की , उत्तरदायित्व ठहराने की।

इस अधिनियम में संभावना है भ्रष्टाचार मिटाने की।

सरकार और दफ्तरशाही नहीं चाहते इस अधिनियम को इस अधिनियम को संशोधित करने की कोशिश हो रही है इसका विरोध करें। ससंद को आवाज़ दें।

***सूचना का अधिकार* ही आज़ादी का आधार है।**
इस से पंगा ना लें।

सूचना का अधिकार -- जनता की शक्ती

सारे भारत में, सरकार को हिसाब देना होगा, खर्चे का, टूटी सड़कों का, बे-शिक्षक की पाठशालाओं का, बे-डाक्टर की निदानिकाओं का, घटिया मकानों का (इंदिरा आवास योजना में), थानेदार जो अपराधीयों को आसरा देते हैं, और राजनेता जो चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते।

इस अधिनियम द्वारा वज़ीफ़ा मिला विध्वाओं को, राशन-पत्र मिले लोगों को, दाखिला मिला छात्रों को, ज़मीन के कागज़ात मिले और प्रलम्बित मुकदमे खुले।

लेकिन सरकार को उत्तरदायी होना और अपने काम का लेखा देना नहीं भाया। इसलिए २० जुलाई को, केन्द्रिय सरकार ने निश्च्य किया इस अधिनियम को बदलने का, संचिका लेखों को बेदखल करने का। ये तय किया गया कि इसको साल २००६ में एक संशोधन का रूप दिया जाए।

ये संशोधन इसलिए है ताकी, कोई ये पूछ ना सके कि "हमारा काम कहाँ, कैसे और क्यों फ़ंसा हुआ है"। ताकी किसी को जिम्मेवार ना ठहराया जा सके।

आइए, इस संशोधन का मिलकर विरोध करें।
प्रधान-मंत्री को पत्र लिखें, निवेदन करें, प्रदर्शन करें, बांह पर काली पट्टी बांधें ...

मत डालें *सूचना का अधिकार* के संशोधन के विरोध में।
जानना और समझना हमारा मौलिक अधिकार है।

परिवर्तन • आशा परिवार • *सूचना का अधिकार* का राष्ट्रीय अभियान